



आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख के
1	2	3
14-2-15	<p style="text-align: center;">न्यायालय अपर समाहर्ता, खगड़िया दाखिल खारिज रिभीजन वाद संख्या-10/12, 09/12, 10/12 तारा भूषण सिंह वनाम शशि भूषण सिंह आदेश</p> <p>उपरोक्त वाद में आवेदक तारा भूषण सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया है कि इस वाद में पारित अंतिम आदेश दिनांक 29.11.2014 में वाद संख्या-08/12 में टंकक भूल से खेसरा नं०-1625 के स्थान पर खेसरा नं०-1624 टंकित हो गया है, इसी प्रकार पुनरीक्षण वाद संख्या-10/12 के कॉलम में खेसरा नं०-1967 के स्थान पर खेसरा नं०-1667 अंकित हो गया है, इसी प्रकार अंतिम आदेश दिनांक 29.11.2014 के तीसरे पृष्ठ की चौथी पंक्ति में भी खेसरा नं०-1967 के स्थान पर 1667 अंकित हो गया है।</p> <p>1. इस प्रकार उपरोक्त अनुरोध है कि आधार पर दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-08/12 में खेसरा नं०-1625 के स्थान पर खेसरा नं०-1624 का भूलवश टंकित होना आवेदक के याचिका (आवेदन पत्र) एवं विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-17/2011 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 10.09.2012 से मिलान करने पर सही पाया गया। अतः दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-08/12 में खेसरा नं०-1624 के स्थान पर खेसरा नं०-1625 पढ़ा जाय। 2. दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-10/2012 के कॉलम में खेसरा नं०-1967 की जाँच की गयी तो पाया गया कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-19/2011 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 10.09.2012 एवं आवेदक के आवेदन पृष्ठ-2 पर खेसरा 1667 ही अंकित है। अतः आवेदक का इस अनुरोध को अस्वीकृत किया गया। 3. इसी प्रकार अंतिम आदेश दिनांक 29.11.2014 के तीसरे पृष्ठ की पाँचवी पंक्ति में खेसरा नं०-1967 के स्थान पर 1667 अंकित है, के संबंध में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-19/2011 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 10.09.2012 एवं आवेदक के आवेदन की जाँच करने से स्पष्ट है कि आवेदक के आवेदन पत्र एवं विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के अंतिम आदेश में खेसरा नं०-1667 ही अंकित है। अतः इसमें भी आवेदक का सुधार आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।  अपर समाहर्ता, खगड़िया।</p> <p style="text-align: right;"> अपर समाहर्ता, खगड़िया।</p>	<p>आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख के</p> <p>20-2-15 रिनांक 20-2-15 समाहर्ता खगड़िया के अंतिम आदेश दिनांक 10.09.2012 से मिलान करने पर सही पाया गया। अतः दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-08/12 में खेसरा नं०-1624 के स्थान पर खेसरा नं०-1625 पढ़ा जाय। 2. दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-10/2012 के कॉलम में खेसरा नं०-1967 की जाँच की गयी तो पाया गया कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-19/2011 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 10.09.2012 एवं आवेदक के आवेदन पृष्ठ-2 पर खेसरा 1667 ही अंकित है। अतः आवेदक का इस अनुरोध को अस्वीकृत किया गया। 3. इसी प्रकार अंतिम आदेश दिनांक 29.11.2014 के तीसरे पृष्ठ की पाँचवी पंक्ति में खेसरा नं०-1967 के स्थान पर 1667 अंकित है, के संबंध में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-19/2011 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 10.09.2012 एवं आवेदक के आवेदन की जाँच करने से स्पष्ट है कि आवेदक के आवेदन पत्र एवं विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के अंतिम आदेश में खेसरा नं०-1667 ही अंकित है। अतः इसमें भी आवेदक का सुधार आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।</p>

20/02/15
Time - 2:41 PM